न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

अपील एल0 आर0 संख्या 46/2011

1. प्रहलाद दत्तक पुत्र आनन्दीलाल मालू जाति महेश्वरी निवासी 603/14 छोटा चौधर मौहल्ला नाला बाजार, अजमेर
2. श्रीमति चन्द्रकान्ता बेवा अमीरचन्द्र उर्फ अबीर चन्द्र
3. बृजमोहन
4. भरत कुमार
   दोनों पुत्राण अमीरचन्द्र
5. शांति देवी धर्मपत्नि किस्तुचन्द्र जी
6. सुशील व दीपक पुत्राण श्री किस्तुचन्द्र जी
7. श्रीमति दुर्गा देवी बेवा केसरीचन्द्र जी
8. श्याम सुन्दर पुत्र श्री मगन लाल
9. प्रेम देवी बेवा किशनचन्द्र
10. नीरू उर्फ मुन्नी और धमवन्तरी उर्फ बेवी पुत्रियां स्वर्गीय श्री किशनचन्द्र जी
    उपरोक्त सभी जरिये मुख्तयारेआम व रिलीज होल्डर श्री अरूण कुमार पुत्र किस्तुरचन्द्र जी जाति महेश्वरी निवासी मकान नं0 603/14 नाला बाजार अजमेर
11. अरूण कुमार पुत्र श्री किस्तुरचन्द्र
12. शांति देवी बेवा जयचन्द
13. अनिल पुत्र श्री जयचन्द
14. मोहिनी देवी बेवा कृष्णचन्द्र उर्फ सवाई चन्द्र
15. सत्यनारायण पुत्र श्री कृष्णचन्द
16. ओम प्रकाश पुत्र श्री कृष्णचन्द
17. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री कृष्णचन्द
    उपरोक्त सभी जरिये मुख्तयारेआम व रिलिज होल्डर लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री कृष्णचन्द

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ओम प्रकाश दौसाया
2. महेन्द्र प्रताप दौसाया
3. यज्ञ प्रताप दौसाया
4. सूर्य प्रकाश दौसाया
5. निर्मल प्रकाश दौसाया
6. सभी पुत्रगण मोहन लाल जी जाति छीपा निवासी मुन्दडा मौहल्ला श्री टाकीज के पास, अजमेर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1	श्री शिवप्रकाश चौधरी	अपीलान्ट अभिभाषक
2	श्री अरविन्द मीणा	रेस्पोडेन्ट अभिभाषक
3	श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक

जिला कलक्टर
अजमेर

दिनांक –02.07.2025

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 21.06.2008 जो परिशोधन संख्या 63 व 64 दिनांक 23.06.1974 की पालना में आदेश पारित किया गया से रूष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है अपील दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत कि गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अपीलांट अभिभाषक ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 2088 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2072 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2069 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 2071 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9774 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9776 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064/9775 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वानसी खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वानसी खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9778 रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वानसी मीन 2068 रकबा 1 बीघा, 2064/9743 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वानसी व खसरा नम्बर 2064/9741 रकबा 14 बीघा वाके ग्राम थोक तेलीयान तहसील व जिला अजमेर में जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार अपीलान्ट 2/3 हिस्से के खातेदार रिकॉडेर्ड है व 1/3 हिस्सा डालचन्द्र व भंवरलाल के नाम दर्ज है जिससे अपीलान्ट का कोई विवाद नहीं है किंतु विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से संजय दौसाया ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार अजमेर को प्रस्तुत कर निवेदन किया की खाता संख्या 203 की नकल में पटवारी से प्राप्त की जिस पर प्रार्थी को मालूम हुआ कि उस खाते में उनके खातेदारी का नोट अंकित नहीं हो रहा है पटवारी हल्का से यह जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मूल जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में जमाबंदी में पड़त सरकार की छाया प्रति काम में ली जा रही है इस कारण उक्त नोट का अंकन जमाबंदी में किया जावे इस गैर कानूनी दरखास्त पर तहसीलदार अजमेर ने अपीलान्ट की आराजी मुतनाजा के रिकाडेर्ड खातेदार है उन्हें कोई नोटिस दिये बिना दिनांक 16.05.2008 को पटवारी हल्का को भेजकर अभिलेख एवं मौका जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर दिनांक 26.5.2008 को पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की व उस गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट जो की आराजी मुतनाजा के रिकाडेर्ड खातेदार है उन्हें कोई नोटिस दिये बिना विपक्षी के कहे अनुसार जमाबंदी में अंकन करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया जिसके तहत पटवारी हल्का ने आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 2069, 2071 व 2064 कुल किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वानसी पर अपीलान्टगण का नाम खातेदारी से हटाकर मोहन लाल वल्द राम नारायण कौम छीपा जो की रेस्पोडेन्ट के पिता है उनके नाम 2/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज करने व शेष खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज करने की गैर कानूनी नोट जमाबंदी पर दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार को अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त करने का कोंई अधिकार नहीं है व न ही कोई परीशोधन से इन्द्राज बदलने का कोई

जिला कलक्टर
अजमेर

आदेश ही देने का अधिकार तहसीलदार को है व तहसीलदार का परिशोधन आदेश 63 व 64 मौजूद नहीं हैं क्योंकि अजमेर थोक तेलियान में कोई सेटलमेन्ट कार्य चालू नहीं हुआ। अतः परीशोधन दर्ज करने का आदेश भी बिला अधिकार रूप से पारित हुआ जिसकी कोई कॉपी भी अपीलान्ट द्वारा चाहे जाने पर किसी भी विभाग से जारी नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कोई वजूद नहीं रहा है किंतु तहसीलदार अजमेर ने केवल विपक्षी के कहने मात्र से ही परिशोधन नम्बर 63 व 64 के तहत अपीलान्ट की खातेदारी को निरस्त कर विपक्षी का नाम रिकार्ड में बिला अधिकार रूप से दर्ज करने का आदेश दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में रिकार्ड निकलवाने व जांच करने पर होने से अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई। आराजी मुतनाजा के बाबत उप जिलाधीश अजमेर द्वारा केस नम्बर 58/81 में आराजी मुतनाजा को अपीलान्ट की खातेदारी घोषित कर जमीन को रहन से बागूजास्त करने का आदेश दिनांक 25.02.1982 को पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की भूमि किसी भी प्रकार से मोहन लाल व राज्य सरकार के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2008 व उसकी पालना में जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में लगाये नोट को शून्य प्रभावी होने से हटाये जाने का आदेश न्यायहित में पारित किया जावे।

रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलान्टगण की अपील को मियाद बाहर बताते हुये अपील को मियाद बिन्दु पर ही खारिज योग्य होने का कथन किया। जवाब में अपीलान्ट अभि0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस/प्रार्थी को साक्ष्य, सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया हैं। अप्रार्थीगण के पिता मोहन लाल के नाम दर्ज करने का बिला अधिकार आदेश पारित कर दिया जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी पूर्व में नहीं हुई प्रार्थीगण को उपरोक्त गैर कानूनी व बिला अधिकार आदेश की जानकारी जब हुई प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की जमाबंदी निकलवाई तो उस पर विपक्षीगण का गलत नोट लगा हुआ था जिसके आधार पर प्रार्थीगण ने आदेश की नकले प्राप्त करने हेतु कोशिशे की व नकल प्राप्त होने पर उक्त अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुती में हुई विलम्ब को क्षमाकर अपील अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित फरमाई जावें। हमने कथनो पर मनन किया, रेकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र पर एवं उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील प्रस्तुती में हुये विलम्ब को कण्डोन करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया।

वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 2088 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2068 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2069 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा खसरा नम्बर 2071 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9774 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 10 बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9776 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064/9775 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वानसी खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वानसी खसरा नम्बर 2064/2777 रकबा 5 बिस्वा 10

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

बिस्वानसी, खसरा नम्बर 2064/9778 रकबा 3 बिस्वा 10 बिस्वानसी मीन 2068 रकबा 1 बीघा, 2064/9743 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 32 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वानसी व खसरा नम्बर 2064/9741 रकबा 14 बीघा वाके ग्राम थोक तेलीयान तहसील व जिला अजमेर में जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार अपीलान्ट 2/3 हिस्से के खातेदार रिकॉडेर्ड है व 1/3 हिस्सा डालचन्द्र व भंवरलाल के नाम दर्ज है जिससे अपीलान्ट का कोई विवाद नहीं है किंतु विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से संजय दौसाया ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार अजमेर को प्रस्तुत कर निवेदन किया की खाता संख्या 203 की नकल में पटवारी से प्राप्त की जिस पर प्रार्थी को मालूम हुआ कि उस खाते में उनके खातेदारी का नोट अंकित नहीं हो रहा है पटवारी हल्का से यह जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मूल जमाबंदी जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है तथा वर्तमान में जमाबंदी में पड़त सरकार की छाया प्रति काम में ली जा रही है इस कारण उक्त नोट का अंकन जमाबंदी में किया जावे इस गैर कानूनी दरखास्त पर तहसीलदार अजमेर ने अपीलान्ट की आराजी मुतनाजा के रिकाडेर्ड खातेदार है उन्हें कोई नोटिस दिये बिना दिनांक 16.05.2008 को पटवारी हल्का को भेजकर अभिलेख एवं मौका जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिस पर दिनांक 26.5.2008 को पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की व उस गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट जो की आराजी मुतनाजा के रिकाडेर्ड खातेदार है उन्हें कोई नोटिस दिये बिना विपक्षी के कहे अनुसार जमाबंदी में अंकन करने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया जिसके तहत पटवारी हल्का ने आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 2069, 2071 व 2064 कुल किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वानसी पर अपीलान्टगण का नाम खातेदारी से हटाकर मोहन लाल वल्द राम नारायण कौम छीपा जो की रेस्पोडेन्ट के पिता है उनके नाम 2/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज करने व शेष खसरा नम्बरान को सिवायचक दर्ज करने की गैर कानूनी नोट जमाबंदी पर दर्ज कर दिया जबकि तहसीलदार को अपीलान्ट की खातेदारी निरस्त करने का कोंई अधिकार नहीं है व न ही कोई परीशोधन से इन्द्राज बदलने का कोई आदेश ही देने का अधिकार तहसीलदार को है व तहसीलदार का परिशोधन आदेश 63 व 64 मौजूद नहीं हैं क्योंकि अजमेर थोक तेलियान में कोई सेटलमेन्ट कार्य चालू नहीं हुआ। अतः परीशोधन दर्ज करने का आदेश भी बिला अधिकार रूप से पारित हुआ जिसकी कोई कॉपी भी अपीलान्ट द्वारा चाहे जाने पर किसी भी विभाग से जारी नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश का कोई वजूद नहीं रहा है किंतु तहसीलदार अजमेर ने केवल विपक्षी के कहने मात्र से ही परिशोधन नम्बर 63 व 64 के तहत अपीलान्ट की खातेदारी को निरस्त कर विपक्षी का नाम रिकार्ड में बिला अधिकार रूप से दर्ज करने का आदेश दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को हाल ही में रिकार्ड निकलवाने व जांच करने पर होने से अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत की गई। आराजी मुतनाजा के बाबत उप जिलाधीश अजमेर द्वारा केस नम्बर 58/81 में आराजी मुतनाजा को अपीलान्ट की खातेदारी घोषित कर जमीन को रहन से बागूजास्त करने का आदेश दिनांक 25.02.1982 को पारित किया गया है। अतः अपीलान्ट की नाम किसी भी प्रकार से मोहन लाल व राज्य सरकार के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2008 व उसकी पालना में जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025 में लगाये नोट को शून्य प्रभावी होने से हटाये जाने का आदेश न्यायहित में पारित किया जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलेक्टर
अजमेर

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा नियमों के विपरीत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसे खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षो की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित परिशोधन संख्या 63 व 64 दिनांक 23.06.1974 को तत्कालीन जमाबंदी संवत 2022 से 2025 में अमल दरामद किया जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में खातेदारी इन्द्राज किया गया है, तब से वर्णित आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम चली आ रही है, अपीलांट द्वारा उक्त अपील के साथ उक्त परिशोधन संख्या 63, 64 के आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु सबंधित तहसीलदार अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त आदेशो की प्रमाणित प्रति लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति उक्त अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की उक्त प्रार्थना पत्रो की पुष्ट पर अंकित भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.5.2008 का अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजियात खाता संख्या 203, 204 में अंकित आराजियात आनासागर के डूब क्षेत्र की आराजियात है तथा उक्त आराजियात हेतु सरकारी सिवायचक दर्ज करने का अंकन किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजियात आनासागर डूब क्षेत्र की होने तथा सरकारी सिवायचक दर्ज होने के कारण उक्त आराजियात बाबत अपीलान्ट को किसी प्रकार से कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण हस्तगत अपील जो प्रस्तुत की गई है, कानूनन पोषणीय नहीं है उक्त विवाद घोषणात्मक आज्ञाप्ति का नियमित वाद सक्षम न्यायालय में संस्थगित किया जाकर राहत प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन विश्लेषण अनुसार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 90 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर